

प्रेस-विज्ञप्ति
जनपद कानपुर देहात।

दिनांक:-16.10.2021

थाना शिवली

दिनांक 15.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 485/21 धारा 354(ख) भा०द०वि० व 11/12 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त पुट्टानाथ को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

(2)

दिनांक 15.10.2021 को थाना स्थानीय के अभियोग अ०सं० 486/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि० में अभियुक्त शारूफ अली को पुलिसबल द्वारा गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

धारा 151 द०प्र०सं०

दिनांक 15.10.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा थाना रसूलाबाद 07, शिवली 08, भोगनीपुर 03, अकबरपुर 05, गजनेर 01, सिकन्दरा 03, रूरा 05 अभियुक्तों को धारा 151 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।